सप्तम माला, 23 जनवरी, 1980/, 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पहला सत्र)

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 3, बुधवार, 23 जनवरी, 1980/3 माघ, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया	1–6
निधन सम्बन्धी उल्लेख	6–17
(सर्वश्री जय प्रकाश नारायण, लार्ड माउन्टबेटन और बाल गोविन्द वर्मा आदि का निधन)	
अध्यक्ष महोदय	
श्रीमती इन्दिरा गांधी	
श्री चन्द्रजीत यादव	
श्री समर मुखर्जी	
श्री जगजीवन राम	
श्री जी० लक्ष्मनन्	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	
श्री चित्त बसु	
श्री जी० एम० बनातवाला	
श्री एन० जी० रंगा	
डा० फारूक अब्दुल्ला	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	17–19
मंत्रियों का परिचय	19–20
सभा पटल पर रखे गए पत्र	20–22
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	23–31
संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के समाचारों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति	
श्री पी० वी० नरसिम्हा राव	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	
श्री पी० के० कोडियन	
श्री विद्याचरण शुक्ल	
डा० वसन्त कुमार पंडित	
श्रीमती कृष्णा साही	

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1979-80—विवरण प्रस्तुत	32
संविधान (45वां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	32
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	32
बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के बारे में व्याख्यात्मक विवरण	32
संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	33
संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के बारे में व्याख्यात्मक विवरण	33
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	33

लोक सभा

बुधवार, 23 जनवरी, 1980/3 माघ, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री ए. म० रामन्ना राय (कासरागोड)

श्री के० कुन्हम्बु (कन्नानौर)

श्री इ० के० इम्बीची बावा (कालीकट)

श्री बालनन्दन (मुकुन्दपुरम)

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की)

श्रीमती सुशीला गोपालन (अल्लेप्पी)

श्री मुरुगेयान एस० (तिरुम्माट्टूर)

श्री मंडन, श्री सनत कुमार (जोयनगर)

राष्ट्रपति का अभिभाषण

सचिव : मैं 23 जनवरी, 1980 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

माननीय सदस्यगण,

सातवीं संसद् के इस पहले संयुक्त सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी है। नई लोक सभा के सदस्यों का मैं अभिनन्दन करता हूं।

छठी लोक सभा मार्च, 1977 में निर्वाचित हुई थी लेकिन यह अपनी पूरी अवधि तक नहीं चल पाई और आधी अवधि से पहले ही इसे विघटित करना पड़ा। इसके विघटन के बाद कुछ महीनों तक देश का शासन बिना लोक सभा के ही चलाना पड़ा। संतोष की बात है कि अब पिछले कुछ महीनों की अस्थिरता समाप्त हो गई है। भारत के लोगों न क्षेत्रीय, भाषायी, वर्गीय, या सांप्रदायिक भेदभावों पर आधारित विचारधाराओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये असंदिग्ध रूप से अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने ऐसे लोगों की सरकार को चुना है जिन्हें देश के सभी भागों और जनता के सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त है। चुनावों के नतीजे से ही यह हो पाया है कि आज हमारा देश केन्द्र में स्थायी शासन की आशा कर सकता है।

खेद का विषय है कि कुछ उत्तरपूर्वी राज्यों के कई चुनाव हल्कों के नुमाइन्दे आज यहां हमारे बीच नहीं है। इस इलाके की, और इस समय खासतौर से असम की, समस्याओं को तत्काल, सभी ओर से आपस में मेलजोल और भाईचारे की भावना से, हल करने की जरूरत है। इन समस्याओं का शीघ्र हल खोजने और हिंसा को खत्म करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार सभी वर्गों से अपील करती है कि वे इसके लिए सही माहौल पैदा करने के काम में उसका हाथ बटाएं।

राष्ट्र-विरोधी शक्तियां हमारी सीमाओं पर सक्रिय हो गई हैं जिससे हमारी सुरक्षा के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है। देश के कई हिस्सों में साम्प्रदायिक और दूसरी विभाजक शक्तियां भी सर उठा रही हैं जिस सबब से राष्ट्रीय अखण्डता और राष्ट्रीय एकता के आदर्शों को गहरी चोट पहुंच रही है। भाषायी और दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों, हरिजनों और समाज के कमजोर तबकों की आस्था को गहरी ठेस लगी है। अपराधों में बढ़ोतरी होने की वजह से और उनका पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए किये गये नाकाफी उपायों के कारण कानून-प्रिय लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। कानून के प्रति अनादर और चारों ओर फैली अनुशासनहीनता ने उत्पादन के प्रयासों की गति धीमी कर दी है।

मौजूदा सरकार को विरासत में मिली आर्थिक स्थिति गहरी चिन्ता और बेचैनी का विषय है। पिछले वर्ष मुद्रा-स्फीति का कुचक्र देखने में आया जिसमें मूल्यों में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन को भारी धक्का लगा है और औद्योगिक उत्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई है। बुनियादी संरचना में गतिरोध आने से, खासतौर से देश के कुछ भागों में, इस्पात और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन में भारी गिरावट आई हैं। इस कारण हमें मंहगे आयात करने पड़े हैं जबकि भारी लागत से बनी देशी क्षमता निष्क्रिय पड़ी रही है। कोयले के उत्पादन में भी वृद्धि नहीं के बराबर हुई है। निर्यातों में वृद्धि की दर घट गई है और व्यापार-शेष भारी घाटे में चल रहा है। कारगर प्रबन्ध के अभाव में राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की हालत बिगड़ गई है। औद्योगिक सम्बन्ध खराब हो गए हैं और सारे औद्योगिक क्षेत्र में मनोबल गिर गया है।

लोगों ने नई सरकार को जो विराट और व्यापक विश्वास दिया है उसमें उनकी यह चाह दिखाई देती है कि कानून और व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है उसे रोक कर उनमें सुधार किया जाए। सरकार लोगों को यह आश्वासन देना चाहती है कि वह जरूर इसी दिशा में मजबूती और तेजी के साथ कदम उठाएगी।

सरकार का भरसक प्रत्यन होगा कि अव्यवस्था का दमन किया जाए और सभी लोगों में, खासतौर से कमजोर वर्गों के लोगों में, विश्वास की भावना फिर से पैदा की जाए। केन्द्र और राज्यों के स्तर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सक्रिय किया जाएगा, ताकि समस्याओं को तत्परता और कारगर तरीके से हल किया जा सके।

माननीय सदस्यगण, नई सरकार ने कोई एक हफ्ता हुए ही काम संभाला है। बजट अगले सत्र में पेश किया जाएगा। उस समय सरकार के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाए जाने वाले सामाजिक और आर्थिक उपायों के बारे में बताया जाएगा। फिर भी ऐसे कुछ मामले हैं जिनका आज जिक्र करना जरुरी है।

सरकार दुहराना चाहेगी कि वह अब भी यही विश्वास करती है कि योजना के रास्ते से ही हम सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमें राष्ट्र-निर्माण का महान कार्य फिर से दुगने उत्साह से शुरु करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां खुशहाल और बेहतर जिन्दगी की आशा कर सकें।

सरकार देश की आर्थिक स्थिति सुधारने की ओर तुरन्त ध्यान देगी। मूल्यों के नियंत्रण के लिए उपाय किए जायेंगे। तस्करों, जमाखोरों और कालाबाजारियों जैसे समाज-विरोधी तत्त्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है। गरीबों, भूमिहीन लोगों, दस्तकारों, हथकरघा बुनकरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वरदान सिद्ध हुआ था, उसमें नई जान डालकर, अब उसे कारगर तरीके से अमल में लाया जाएगा। पांचवीं योजना में शुरु किये गये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को फिर एक बार उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस सिलसिले में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाएगा।

सरकार की यह नीति होगी कि कृषि और ग्रामीण विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए जिसमें छोटे और सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को मदद देने पर खास जोर दिया जाएगा। व्यापक सूखे के कारण पैदा हुई मुसीबत को कम करने की ओर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। उर्वरक, ऋण, पानी, बिजली, डीजल, मिटटी का तेल आदि वस्तुओं की समय पर उचित सप्लाई सुनिश्चित करते हुए, किसानों को अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की सहायता दी जाएगी। इसके लिए राज्य-सरकारों का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त किया जाएगा। सरकार का यह प्रयत्न होगा कि किसान को अपनी उपज का उचित लाभकारी मूल्य अवश्य मिल सके। कृषि के सतत विकास की व्यवस्था करते हुए सरकार तिलहनों जैसी वस्तुओं के उत्पादन की तरफ ज्यादा ध्यान देगी ताकि इस प्रकार की जरुरी चीजों के लिए हमें दूसरे देशों का आसरा न लेना पड़े।

बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब होने से परिवहन-व्यवस्था में रुकावटें आ गई थीं और इस्पात, सीमेंट, कोयला और बिजली जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की सप्लाई अपर्याप्त हो गई थी, अब इनमें सुधार लाकर इन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। लगातार देखभाल तथा ठीक वक्त पर सही कार्यवाही करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रेलों और जहाजों द्वारा यातायात के कामों में दक्षता रहे और बन्दरगाहों पर माल की शीघ्र निकासी हो।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सबन्ध है, मौजदा क्षमता के बेहतर उपयोग, सुधरे हुए श्रम-सम्बन्धों और खासतौर से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर संचालन द्वारा उत्पादन को तेजी के साथ बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कृषि और उद्योग, दोनों क्षेत्रों के बेहतर प्रबन्ध के द्वारा निर्यातों को व्यवस्थित रुप से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

देश के सामने ऊर्जा का भयानक संकट है। हम ऊर्जा की बढ़ती हुई कीमतों और उसकी सप्लाई में संभावित कमियों के दौर से गुजरने वाले हैं। सरकार का ऊर्जा के बारे में एक ऐसी व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का प्रस्ताव है जिसमें परम्परागत और गैर-परम्परागत, दोनों प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पूरे-पूरे उपयोग पर जोर दिया जाए।

पर्यावरण के लगातार दूषित होने से क्या आज और क्या भविष्य में देश और जनता दोनों की खुशहाली के लिए खतरा पैदा हो गया है । वनरोपण, बाढ़-नियंत्रण, भू-संरक्षण, वनस्पति और जीव-जन्तुओं की रक्षा, भूमि के उचित उपयोग की योजना, जल और वायु प्रदूषण का नियंत्रण और उद्योगों को सही स्थानों पर लगाने के कामों को तुरन्त हाथ में लिया जाना चाहिए। सरकार एक ऐसा विशिष्ट तंत्र गठित करने जा रही है जिसे सभी योजनावद्ध विकास में परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के उपायों को शामिल करने का पूरा-पूरा अधिकार होगा ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को सशक्त किया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जायेंगे कि अनुसंधान और विकास दोनों को राष्ट्रीय प्रयास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित स्थान मिले ।

सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी वचनबद्धता को दुहराती है । वह सभी छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के विकास के लिए हर संभव प्रोत्साहन देने में विश्वास रखती है । इनमें प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्र भी शामिल होंगे ।

स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक आवश्यक सहवर्ती तत्व है । सरकार की तीव्र इच्छा है कि हमारी कानूनी पद्धति में न्याय मिलने में देर न लगे और कोई भी नागरिक आर्थिक अथवा अन्य किसी असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे । इसके और दूसरे संबंधित मामलों के लिए सभी जरुरी कदम उठाए जाएंगे ।

सरकार धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि अल्पसंख्यक वर्ग, अपनी स्वतंत्र सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित रखते हुए, राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान भागीदारी का अनुभव कर सकें । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरुप को आश्वस्त करने के लिए विधेयक अगले सत्र में लाया जाएगा ।

जसी हमारी राज्य-व्यवस्था है उसमें कारगर तरीके से काम करने लिए यह जरूरी है कि केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध हों । केन्द्रीय सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे अच्छे सम्बन्ध बने रहें और पुष्ट हों ।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, सरकार गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर चलेगी । भारत हमेशा इस बात पर अटल रहा है कि अपनी विदेश-नीति का निर्माण करने में वह अपने ही विवेक से काम लेने के लिए स्वतंत्र है । अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के रास्ते से हमको कोई भी दबाव या प्रलोभन नहीं हटा पाए हैं। हमारी सरकार का इरादा है कि वह इन्हीं सिद्धान्तों पर चलते हुए हमारे मूल लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग पर बिना किसी डर या पक्षपात के आगे बढ़े । सरकार गतिशील, सकारात्मक और संगघटनकारी नीति का अनुसरण करेगी । सरकार की कोशिश होगी कि विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को कम किया जाए ताकि स्थायी शांति स्थापित हो और विश्व की समृद्धि में सभी को समुचित हिस्सा मिल सके । सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान तथा एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति के आधार पर, वह सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखेगी और उन्हें सुदृढ़ करेगी ।

क्या हमारे क्षेत्र में और क्या हमारे पड़ौस में, बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप और हथियारों के आने से न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि सारे क्षेत्र के लिए, एक खतरनाक स्थिति पैंदा हो गई है। अफगानिस्तान में हुई हाल की घटनाएं शीत युद्ध की स्थिति फिर से पैंदा होने का स्पष्ट संकेत देती हैं। यह गंभीर चिन्ता का विषय है। इस क्षेत्र के देशों को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपनी शक्ति क्षेत्रीय स्थायित्व स्थापित करने और परस्पर सहयोग बढ़ाने में लगा सकें। इस क्षेत्र के साधन विशाल हैं और उनका इस्तेमाल यहां के लोगों की खुशहाली के लिए किया जाना चाहिए। इन देशों को महाशक्तियों की आपसी होड़ों का शिकार बनाया जाना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। शासन का इरादा है कि वह इस सारे क्षेत्र की खुशहाली के लिए आपसी परामर्श और सहयोग की कार्यवाही शुरू करेगा।

पड़ौसी देशों के साथ सरकार आपसी सहयोग और मित्रता की नीति अपनाना चाहती है। पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सामान्य हो रहे हैं और सरकार उस रास्ते पर चलते रहना चाहती है जिसकी शुरुआत 1972 में शिमला समझौते के साथ हुई थी। हमें उम्मीद है कि सरकार की नीति का समुचित आदान-प्रदान हो सकेगा।

भारत-चीन सम्बन्धों का सामान्य रहना स्थायित्व के लिए बड़ा जरूरी है। जाहिर है कि इस दिशा में की गई कोशिशें चीन-वियतनाम युद्ध के परिणामस्वरूप प्रभावित हुई। चीन के साथ सीमा-विवाद सहित अन्य सभी मामलों पर विचार करने के लिए भारत अब भी इच्छुक है ताकि समानता पर आधारित कोई शांतिपूर्ण हल निकाला जा सके। हम आशा करते हैं कि द्विपक्षीय आदान-प्रदान के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे।

वियतनाम के साथ हमारी मैत्री हमारी नीति का एक स्थिर तत्व रही है। हम चाहते हैं कि कम्पुचिया किसी बाहरी दबाव के बिना स्वयं अपने भविष्य को निर्धारित करे। दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्य-राष्ट्रों के प्रति हमारे मन में सद्भावना और सौहार्द हैं। हम चाहते हैं। कि इन सम्बन्धों में और सुधार हो। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में आपसी विश्वास का बढ़ना तथा तनावों का ढ़ीला होना आवश्यक है।

लेकिन अमरीकी देशों अथवा राष्ट्रमंडल के दूर-स्थित देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में भौगोलिक दूरी हमारे लिए बाधक नहीं हुई है। जापान और यूरोपीय देशों के साथ हमारे सम्बन्ध व्यापक और एक-दूसरे के लिए संतोषजनक है।

उपनिवेशवाद और प्रजातिवाद के विरुद्ध संघर्ष में हम अपने अफ्रीकी बन्धुओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़े हैं। अरब आन्दोलन के साथ हमारी हमदर्दी सिद्धान्तों पर आधारित है और हमारा विश्वास है कि अपने वतन के लिए फिलिस्तीनियों की वैध मांग को पूरा किये बिना पश्चिमी एशिया की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता।

सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध बढ़े हैं। ये सम्बन्ध ऐसी स्थायी मित्रता पर आधारित हैं जो भरोसे और आपसी मेलजोल की खूबियों को साबित करती हैं। हम चाहते हैं कि यह सहयोग और बढ़े और फले-फूले।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे बहुमुखी सम्बन्ध हैं। दोनों देशों के लोकतांत्रिक होने के कारण हम कुछ समान मूल्यों का आदर करते हैं। इन्हें देखते हुए हमें भरोसा है कि

ये सम्बन्ध और भी सुदृढ़ होंगे । हम आशा करते हैं कि हम दोनों इस प्रदेश में विकास और सहयोग के साथ-साथ शांति और स्थायित्व स्थापित करने के प्रयासों में एक-दूसरे के सहयोगी हो सकेंगे ।

बंगलादेश के राष्ट्रपति जिया-उर्रहमान अभी भारत आकर गए हैं । फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी जिस्कार देस्तां इस वर्ष गणतन्त्र दिवस समारोह में हमारे मुख्य अथिति होंगे आस्ट्रिया के चांसलर क्रेइस्की और क्यूबा के राष्ट्रपति कास्त्रो शीघ्र ही हमारे यहां आ रहे हैं । हमें विश्वास है कि इस प्रकार के आदान-प्रदान अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को खास तौर से मजबूत बनाते हैं ।

माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र अल्पकालिक होगा । आपको अत्यवश्यक विधायी कार्य-क्रम सम्पन्न करना है जिसमें अनूसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और एँग्लोइंडियनों के लिए विधान-मंडलों में आरक्षण जारी रखने के लिए संविधान में संशोधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं ।

अगले पांच वर्षो के कार्यकाल में आपके विचार के लिए कई मुद्दे आएंगे । एक स्वस्थ और क्रियाशील संसदीय लोकतंत्र सुनिर्धारित नियमों को लेकर चलता है । सरकार और विपक्ष के बीच परस्पर आदर का भाव होना जरूरी है । लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों का सामंजस्य अनूकूलन और मेलमिलाप की भावना से हो, न कि परस्पर विरोध और मूकाबले की भावना से । सदन के सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है कि वे गए दिनों के विवादों और/संघर्षो को भुला दें । जनता की सेवा और राष्ट्रीय हितों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वे देश के सामने जो बहुत जरूरी काम हैं उनमें सहयोग और सामंजस्य की भावना से जूट जाएं । मेरी कामना है कि आपके प्रयास सफल हों ।

जय हिन्द ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : निधन सम्बन्धी उल्लेख किये जाने से पूर्व मुझे एक बात कहनी है । श्री जय प्रकाश नारायण का नाम दूसरे स्थान पर तथा लार्ड लुई माउन्टबेटन का नाम पहले स्थान पर क्यों रखा गया है । यह अत्यन्त खेद की बात है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा केवल निधन तिथि के अनुसार किया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मेरे साथ सहमत होंगे कि श्री जय प्रकाश नारायण उस वर्ग में नहीं आते ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं नहीं समझता कि इस मामले पर विवाद किया जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर नहीं दिलाता तो इसका यह अर्थ होगा कि मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय: हम श्री जय प्रकाश नारायण के नाम से शुरू कर सकते हैं। यह केवल कालक्रमानुसार रखा गया था।

मुझे पिछले कुछ महीनों में कई आदरणीय मित्रों के निधन की सूचना सभा को देनी है—श्री जय प्रकाश नारायण, लार्ड लुई माउन्टबेटन, श्री बालगोविन्द वर्मा, श्री नुगेहल्ली शिवप्पा, श्री एम० टी० राजू, श्री अब्दुल गनी दर, श्री मोहम्मद ताहिर, श्री तेनेटी विश्वनाथन, श्री पदमपत सिंघानिया, श्री दत्तजी राव वी० कदम, श्री तर्नासिंह, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री पाइक.-मुरमू, श्री यज्ञ नारायण सिंह, श्री ए० एम० तारिक, श्री किशन वीर और श्री चन्द्र शंकर।

हम सबको 8 अक्तूबर, 1979 को 77 वर्ष की अवस्था में श्री जय प्रकाश नारायण के निधन के बारे में जानकर शोक हुआ। श्री नारायण महान देश भक्त थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारी बलिदान किये तथा सदा जन-हितैषी कार्यों का नेतृत्व किया।

श्री जय प्रकाश नारायण ने भूदान संदेश के प्रसारण में, नागालैंड में शान्ति स्थापना और चम्बल घाटी में डाकुओं की समस्या के समाधान में प्रभावी योगदान दिया। उन्होंने 1960 में अफ्रीकी ऐशियाई सम्मेलन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1971 में बंगला देश के स्वतंत्रता संग्राम और विस्थापितों के भारत आगमन पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए विश्व-भ्रमण किया। 1965 में उन्हें सार्वजनिक सेवाओं, के लिए 'रेमन मगैसेसे' पुरस्कार दिया गया।

वे महान नेता थे जिन्हें व्यापक सम्मान तथा स्नेह मिला। जन हित उनका अत्यन्त प्रिय कार्य था। उनका निष्ठापूर्ण जीवन सदा जनता के लिए प्रेरणा बना रहेगा।

स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लार्ड लुई माऊंटबेटन का निधन 27 अगस्त, 1979 को आयरिश तट पर हुए विस्फोट में हुआ।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सुप्रीम एलाइड कमान्डर का कार्य किया तथा वह महान ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे तथा उन्होने ब्रिटेन की नौसेना में विशिष्ट सेवाएं की। 1953 में वह एडमिरल बनाये गये और 1953 प्रथम सी लार्ड बने और 1959 से 1965 तक चीफ आफ स्टाफ के पद पर रहे। भारत के वायसराय के पद पर रहते हुए उन्होंने सत्ता के हस्तान्तरण का कार्य कार्यक्रम के अनुसार कराया। भारत के लोगों के दिल में उनके लिये सदैव प्रेम बना रहेगा।

श्री बाल गोविन्द वर्मा, उत्तर प्रदेश के खीरी निर्वाचन-क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के लिए चुने गए थे। उनका 11 जनवरी, 1980 को 56 वर्ष की अवस्था में हृदयगति रूक जाने से निधन हो गया। वह 1962 से 1977 तक तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह 1969—70 के दौरान लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। उन्होंने 1971—77 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में श्रम और पुनर्वास, सिंचाई और विद्युत और में संचार मंत्रालयों में उपमंत्री का कार्य किया। एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने नशाबन्दी के लिए तथा छूआछात और दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए कार्य किया। सहकारी आन्दोलन के प्रति उनकी विशेष रूचि थी तथा भारतीय उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष रहे। वह पहले रेलवे पोर्टर्स और वेंडर्स की नेशनल फैडरेशन के अध्यक्ष भी रहे थे।

श्री नृगेहल्ली शिवप्पा 1967–77 के दौरान कर्नाटक के हसन निर्वाचन क्षेत्र से चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वह सक्रिय संसदविद थे तथा उन्होंने आवास समिति, अधीनस्थ विधान समिति तथा प्राक्कलन समिति में कार्य किया। 8 सितम्बर 1979 को 51 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

श्री एम० टी० राजु 1971–77 के दौरान आंध्र प्रदेश के नरसापुर निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उससे पूर्व उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में विशिष्ट कार्य किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव का कार्य विशेष योग्यता से किया। वह सक्रिय संसदविद थे तथा कृषि में विशेष रुचि रखते थे। उनका 20 अक्तूबर, 1979 को 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री अब्दुल गनी दर 1967–71 के दौरान हरयाणा के गुड़गांव निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के लिए चुने गये। लोक सभा में आने से पूर्व वह 1952–62 के दौरान पंजाब विधान सभा तथा 1962–66 के दौरान राज्य सभा के सदस्य रहे। वह सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा उनका सम्बन्ध बहुत सी समाज कल्याण संस्थाओं से था। उनका 2 नवम्बर, 1979 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री मोहम्मद ताहिर 1946–50 तक संविधान सभा के सदस्य थे। 1957 से 67 और 1971–77 के दौरान वह बिहार से दूसरी, तीसरी और पांचवीं लोक सभा के लिए चुने गये। उससे पूर्व वह बिहार विधान सभा के सदस्य थे। एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने जिले के स्थानीय निकायों में महत्वपूर्ण पदों को सम्भाला। एक संसदविद के नाते वह बहुत सक्रिय थे तथा शिक्षा में उनकी विशेष रुचि थी। 9 नवम्बर, 1979 को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

श्री तन्नेटी विश्वनाथन 1967–71 के दौरान आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य चुने गये। लोक सभा में आने से पूर्व वह 1937–39 और 1946–53 के दौरान मद्रास विधान सभा के सदस्य थे। 1953–54, 1956–59 और 1962–67 के दौरान आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। 1953–54 के दौरान वह आंध्र प्रदेश के वित्त और विधि मंत्री रहे। वह सक्रिय संसदविद् थे। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान वह कई बार जेल गये। 10 नवम्बर, 1979 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।

श्री पदमपत सिंघानिया 1946–52 के दौरान संविधान सभा और अंतरिम संसद के सदस्य रहे। उससे पूर्व वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाणिज्य मंडल की स्थापना की तथा 1935 में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के महासंघ के संस्थापक सदस्य तथा अध्यक्ष रहे। एक लोकोपकारी के रूप में उन्होंने बहुत से स्कूलों की स्थापना की तथा बहुत से तकनीकी और आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना के सूत्रधार थे। वे सार्वजनिक तथा जनहितकारी कार्यों में रुचि लेते थे। 18 नवम्बर, 1974 को 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।

श्री दत्ताजीराव वी० कदम 1971–77 के दौरान महाराष्ट्र के हकांगले निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा के लिये चुने गये । उन्होंने शैक्षणिक तथा सहकारी संस्थाओं में विशेष रुचि ली । 18 नवम्बर, 1979 को 61 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ ।

श्री तन सिंह 1962–67 और 1977–79 के दौरान राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र से तीसरी और छठी लोक सभा के लिए चुने गये । उससे पूर्व वह 1952–62 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे । उन्हें संसदीय कार्यों में विशेष रुचि थी । 7 दिसम्बर, 1979 को 56 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ ।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद 1946–52 के दौरान संविधान सभा तथा अंतरिम संसद के सदस्य थे । 1952 से 1967 के दौरान वह बिहार के गया क्षेत्र से पहली व दूसरी तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य थे । एक कृषक के रूप में उन्होंने कृषि मजदूरों के कल्याण में विशेष रुचि ली तथा खेतिहर मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे । स्वतंत्रता संग्राम में वे जेल भी गये । संसद सदस्य के रूप में उन्होंने विदेश विभाग में विशेष रुचि ली । 7 दिसम्बर, 1979 को 68 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ ।

श्री पाहकामुरमू 1957–62 के दौरान बिहार के राजमहल निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोक सभा के लिए चुने गये । उन्होंने भूदान आन्दोलन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान में विशेष रुचि ली । 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान वह जेल गये । 8 दिसम्बर, 1979 को 68 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ ।

श्री यज्ञ नारायण सिंह 1962–67 के दौरान उड़ीसा के सुन्दरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने ग्रामीण विकास तथा अपने जन्म स्थान में एक हाई स्कूल की स्थापना में विशेष रुचि ली । 11 दिसम्बर, 1979 को 47 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ ।

श्री ए० एम० तारिक 1957–62 के दौरान जम्मू और काश्मीर से दूसरी लोक सभा के लिए नामांकित हुए । बाद में 1962–65 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य रहे । भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के लिए उन्हें 1946 में 18 मास के लिए जेल भेजा गया । 1959 के दौरान वह प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे ।

वह 1961 में लन्दन में हुए राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे और 1964 में अल्जीरिया में अफ्रीकी एशियाई एकता सम्मेलन में भेजे गये । भारतीय शिष्टमंडल के भी सदस्य थे । वह वर्ष 1964–66 के दौरान जम्मू और काश्मीर सरकार के मंत्री थे । 23 दिसम्बर, 1979 को 57 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ ।

श्री किशन वीर वर्ष 1962–67 के दौरान महाराष्ट्र के सतारा निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोक सभा के सदस्य चुने गये । उससे पूर्व पांच वर्ष तक वह महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे । सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अन्तर्गत उन्हें जेल भी जाना पड़ा । सहकारी तथा शैक्षिक कार्यों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया । 27 दिसम्बर, 1979 को 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ ।

श्री चन्द्रशेखर 1952—62 के दौरान बम्बई राज्य के भड़ौच निर्वाचन क्षेत्र से पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे तथा उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लिया तथा 1942 में जेल भेजे गये। उन्होंने ग्रामीण विकास तथा औद्योगिक सहकारिता आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया। विविध सामाजिक और शैक्षणिक संगठनों और अपने जन्मस्थान में शारीरिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में उनका विशेष योगदान रहा। उनका निधन 31 दिसम्बर, 1979 को 81 वर्ष की अवस्था में हुआ।

इन मित्रों के निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि दिवंगत आत्माओं के परिवारों को शोक सन्देश भेजने में आप मेरे साथ हैं।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, छठी लोक सभा के भंग होने के पश्चात् जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा कुछ पुराने साथियों का निधन हुआ है और उनके बारे में आपने जो दुख प्रकट किया है, उसमें मैं भी आपका साथ देती हूं।

श्री जयप्रकाश नारायण के निधन से हमारे समूचे देश में शोक की लहर फैल गई। श्री जय प्रकाश नारायण भारत मां के. एक महान सपूत थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया और अपना जीवन लोगों की सेवा में अर्पित किया। प्रारम्भ में वह मार्क्सवाद के समर्थक थे किन्तु बाद में उन्होंने सर्वोदय का सिद्धान्त अपना लिया और अन्त में उन्होंने आन्दोलनकारी राजनीति अपनाई।

श्री जय प्रकाश नारायण की अपनी सभी गतिविधियों में अत्याधिक देशभक्ति पूर्ण भावनाएं भरी हुई थीं। उन्होंने कांग्रेस सोस्लिस्ट पार्टी का निर्माण किया और स्वतंत्रता के पश्चात् उसका नेतृत्व किया। उन्होंने भू-दान आन्दोलन में भी भाग लिया और चम्बल घाटी के डाकुओं को समर्पण के लिए सहमत किया। उसके पश्चात् सातवें दशक में उन्होंने पूर्ण-क्रांति का आन्दोलन चलाया। उनका जो भी ध्येय रहा है, उन्होंने अपने आपको उसके अनुसार सिद्ध करके दिखाया है। उन्होंने युवा वर्ग को प्रोत्साहित किया है।

उन्होंने जनता पार्टी के निर्माण की प्रेरणा दी किन्तु अंत में उनका एक निराश व्यक्ति के रूप में निधन हुआ।

मतभेदों के होते हुए भी वह उन थोड़े से नेताओं में से थे, जिन्हें सभी का सम्मान तथा स्नेह प्राप्त था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आने वाले लम्बे समय तक वह राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

मेरे पिताजी तथा जय प्रकाश जी के बीच बहुत ही घनिष्टता तथा मित्रता थी। इतना ही नहीं उनकी पत्नी प्रभावती तथा मेरी मां के बीच भी स्नेहपूर्ण सम्बन्ध थे।

उनके निधन से हमने एक महान देशभक्त एक कर्मठ क्रांतिकारी तथा अग्रमानववादी खो दिया है।

बर्मा के अर्ल माऊंटबेटन एक असाधारण व्यक्ति तथा जन्म से मानव के नेता थे। उनमें योजना बनाने तथा उस पर कार्यवाही करने की अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने युद्ध के मैदान में तथा बातचीत में, अपनी विशेष योग्यता का प्रदर्शन किया। उन्होंने जो भी कार्य आरम्भ

किया और जो भी जिम्मेदारी उठाई उसमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। उनका हमारे इतिहास में इसलिए स्थान है कि उन्होंने भारत में शक्ति के अंतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने उस समय की जटिल समस्याओं के प्रति सहानुभूति तथा समझबूझ दिखाई। महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं के साथ उनकी मित्रता का यही आधार था। अपनी सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी उन्होंने भारत तथा उसके कल्याण में निरंतर रुचि दिखाई।

भारत ने एक सच्चा मित्र तथा विश्व ने एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व खो दिया है। हमें उनके निधन पर गहरा शोक है और विशेषकर इस कारण से कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई बल्कि आतंक की निदनीय कार्यवाही द्वारा उन्हें मारा गया है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा के निधन से बहुत आघात पहुंचा है। पहले दिन शाम को जब वह मुझे मिलने आये थे तो वह बिलकुल स्वस्थ लग रहे थे। वह एक सच्चे सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। उनकी ग्रामीण विकास रचनात्मक कार्य तथा शिक्षा में बहुत रुचि थी। वह विशेष रूप में पिछड़े लोगों की सेवा कर रहे थे। हम उनसे इस लोक सभा में सक्रिय रूप से योगदान देने की आशा लगाये बैठे थे किन्तु लोक सभा की बैठक बैठने से पहले ही उनका निधन हो गया।

श्रीमान मैं लोक सभा के अन्य भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर, जिनका आपने उल्लेख किया है, गहरा शोक व्यक्त करती हूं। कुछ साथी थे और कुछ मित्र थे। सभी के सभी राष्ट्रीय गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे और विभिन्न गतिविधियों द्वारा लोगों की सेवा कर रहे थे। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं।

श्री चरणजीत यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्री जयप्रकाश नारायण हमारे उन प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में से थे, जिन का जीवन, और जिन का चरित्र, आने वाले युगों तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ख़िलाफ जो संघर्ष हुआ, उसमें श्री जयप्रकाश नारायण जो देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत एक नवयुवक के रूप में पहली कतार के नेता थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही जिन आदर्शों को अपने सामने रखा——साम्राज्यवाद के ख़िलाफ संघर्ष करने का आदर्श, भारत माता के पैरों से गुलामी की बेड़ी काटने का आदर्श, देश को ग़रीबी मिटाने का आदर्श——और भारत जैसे महान् देश द्वारा अपनी समस्याओं को कुछ आदर्शों और उसूलों की बुनियाद पर हल करने का जो मकसद और लक्ष्य उन्होंने अपने सामने रखा, उससे देश की युवा पीढ़ी हमेशा प्रेरणा हासिल करती रहेगी।

जयप्रकाश नारायण जी का व्यक्तित्व इस माने में भी अनुकरणीय रहेगा कि उन्होंने जीवन भर अपने मन में कभी किसी पद की लालसा पैदा नहीं की। उनको गांधीजी, जवाहरलाल जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे अन्य महान् राष्ट्रीय नेताओं के साथ, और उनकी छत्र-छाया में, काम करने का मौका मिला था। लेकिन शुरू से ही——जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, तब से ही——श्री जयप्रकाश नारायण के सामने महज़ यह लक्ष्य नहीं था कि यह देश आज़ाद हो जाये। उनके सामने यह भी मकसद था कि आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान किस रास्ते पर चलेगा। आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता को गरीबी और बेकारी की जंजीरों से भी मुक्ति मिल सके। इसीलिए जयप्रकाश नारायण

जी ने समाजवाद को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था, अपने जीवन का ध्येय बनाया था। समाजवाद इस देश की धरती पर, इस देश के वातावरण के अनुकूल और इस देश की अपनी प्रतिभा के अनुकूल इस देश की साथी बनकर रहे—जयप्रकाश जी ने इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। एक क्रांतिकारी होते हुए सत्य और अहिंसा में जो गांधीजी से उन्होंने सीख ली थी उसमें उनका अटूट विश्वास था। इस देश की सेवा में इस देश को गौरव प्राप्त हो सके और दुनिया में भी यह देश योगदान दे सके—इस के लिए उनका सारा जीवन समर्पित था। जयप्रकाश नारायण जी ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में यह भी निश्चय कर लिया था कि महज़ राजनीति के माध्यम से देश इन मकसदों को हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए समाज और देश की सेवा जिस तरीके से भी हो सकती है, गरीब जनता के बीच में जाकर काम करके, हिन्दुस्तान में जो मुख्तलिफ़ वर्गों के लोग हैं—हिन्दु, मुस्लिम, सिख ईसाई—सभी आपस में मिल करके इस देश के निर्माण में अपने योगदान दे सकें और हिन्दुस्तान में जो अशांति की ताकतें हैं उनपर शांति से काबू पाया जा सके और उनको अमन के रास्ते पर ले जाया जा सके—इन सब बातों के लिए भी उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था।

श्री जयप्रकाश जी के योगदान को यह देश इस माने में भी याद रखेगा कि हमारी आजादी की जग के ज़माने में खास मकसद यह रहा कि हिन्दुस्तान की जनता इस देश के निर्माण में सही मायनों में भागीदार बन सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके, वह अपने कार्यों का स्वयं संचालन कर सके, यह अधिकार किसी एक व्यक्ति का न होकर देश की करोड़ों जनता का होना चाहिए।

श्री जयप्रकाशजी का आखिरी योगदान भी बहुत बड़ा रहा जिसको यह देश कभी भी नहीं भूलेगा। जयप्रकाशजी ने गांधीजी के रास्ते पर चलकर साम्राज्यवाद के खिलाफ़ आम जनता में जो संघर्ष किया और जन-शक्ति और इस देश के कुछ मूल्यों में इस देश की जनता ने जो संकल्प किया उससे इस देश में प्रजातन्त्र अक्षुण्ण रहेगा। इस देश में कभी भी जनता ताकत, जनता की शक्ति और जनता के अधिकार कम नहीं होने पायेंगे, समाप्त नहीं होने पायेंगे। अपनी मृत्यु शैया से उठकर उन्होंने इस देश का आह्वान किया था जबकि उन्होंने समझा कि इस देश में कुछ मूल्यों से, सही रास्ते से हटकर जनतन्त्र के रास्ते में भटकाव पैदा हो रहा है। इस प्रकार जयप्रकाश जी के मन में जनतन्त्र के प्रति एक गहरी आस्था थी और इन मूल्यों को बनाए रखने में उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसको यह देश सदा ही याद रखेगा।

आज जयप्रकाशजी हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन अन्य महान व्यक्तियों की तरह से उनकी विचारधारा, उनके काम, उनका जीवन दर्शन हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शन का काम करेगा। आज इस संसद के माध्यम से जब हम जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो हम इस बात का संकल्प कर रहे हैं कि जयप्रकाश जी ने जो व्रत लिया था, जो उन्होंने अपने सामने मकसद रखा था—यद्यपि उनकी अपनी कोई संतान नहीं है लेकिन यह देश उनका अपना परिवार था और इस देश के बेटे-बेटियां उनकी अपनी सतान जैसी थीं—वे उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे और उनके मकसद को पूरा करने का संकल्प अपने मन में रखेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं श्री जयप्रकाश जी को अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ़ से श्रद्धाँजलि अर्पित करता हूं तथा आपके साथ उन श्रद्धाँजलियों में भी अपने को सम्बद्ध करता हूं जो अन्य दिवंगत आत्माओं के लिए आपने अर्पित की हैं। मैं आशा करता हूं कि उन परिवारों के लोगों को सहन-शक्ति प्राप्त होगी और दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त होगी।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्रीमान्, दिवंगत नेताओं के सम्मान में सभा में जो संवेदनाएं, व्यक्त की गई हैं, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं।

श्री जयप्रकाश नारायण जी एक विशिष्ठ नेता थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अधिनायक वाद के विरुद्ध लड़ते हुए महानतम योगदान दिया। यदि जयप्रकाश जी अधिनायकवाद के विरुद्ध न लड़ते तो मुझे शंका है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र ही समाप्त हो जाता। और उसके लिए जयप्रकाश नारायण जी को दंड भोगना पड़ा। इसके लिए उन्हें आंसुका के अन्तर्गत जेल जाना पड़ा। अतः जो जयप्रकाश जी के प्रति अपना सच्चा सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, उन्हें आज यह शपथ लेनी होगी कि जिस उद्देश्य अर्थात् लोकतंत्र के लिए जयप्रकाश जी अपने अंतिम दिनों तक लड़ते रहे, उसके लिए हर प्रकार की यातनाएं सहते हुए भी लड़ते रहे ताकि भारत में अधिनायकवाद पुनः वापस न आ सके। श्री जय प्रकाश नारायण को हम यही सबसे महान सम्मान दे सकते हैं।

श्रीमान्, अन्य दिवंगत नेताओं के सम्बन्ध में मैं आपकी संवेदनाओं से पूरी तरह सहमत हू।

श्री जगजीवन राम (सासाराम) : दिवंगत आत्माओं के प्रति जो श्रद्धांजलि अर्पित हुई हैं मैं उस में शामिल होता हूं। जयप्रकाश, जी भारत के महानतम पुत्रों में से थे। उनका जीवन समर्पित था। समर्पित था—देश की स्वतंत्रता के लिये समर्पित था—प्रजातन्त्र के लिये समर्पित था—समाजवाद के लिये समर्पित था—विश्वशान्ति के लिये। जहां कहीं भी उन्होंने अन्याय देखा उन की अकेली आवाज़ भी उठी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारे साथ और कोई है या नहीं। चाहे वह नागालैंड का प्रश्न हो काश्मीर का प्रश्न हो पाकिस्तान के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने का प्रश्न हो; सभी मामलों में जयप्रकाश जी की आवाज़ उठती गई और जैसा मैंने अभी कहा—उन का इतना अधिक समर्पित जीवन था कि जीवन के सुखों के प्रति वे बराबर उदासीन रहे और वह समर्पित जीवन देश की सेवा में लगता रहा। आखरी वक्त में उन की तुलना भीष्म-पितामह से की जाय तो अत्योक्ति नहीं होगी। रुग्ण-शैया पर पड़े हुए भी देश की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी रखना और उस में बौद्धिक योगदान करना उन का काम रहा। देश की युवा पीढ़ी को अनप्राणित करने का काम भी उन्होंने किया। आज अगर उन से सबक ले कर हम इस युवा शक्ति का इस्तेमाल कर सकें तो इस में कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्र के कई-एक रचनात्मक कार्यों में युवा-पीढ़ी अगली कतार में पाई जायगी। यदि उन का सही दिशा-निर्देशन नहीं हुआ तो इस में भी कोई सन्देह नहीं कि ध्वंसक कार्यों में भी वे अगली कतार में पाये जा सकते हैं। आज उन के जीवन से हम को यह आदर्श लेना चाहिये कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में कोई त्याग बहुत बड़ा त्याग नहीं है।

मैं उन के प्रति अपनी और अपने ग्रुप की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

लार्ड माउन्टबेटन—हिन्दुस्तान के इतिहास के एक अंश बन गये हैं और हिन्दुस्तान के इतिहास के अध्याय में उन का नाम गौरव के साथ लिया जायेगा। भारत को आज़ादी देने में उन का हाथ रहा और भारत के साथ उन की इतनी अधिक एकरूपता हो गई थी कि उन की अन्तिम ख्वाहिश थी कि जब उन की मृत्यु हो जायें तो उन की शव-यात्रा में भारतीय सेना का भी प्रतिनिधित्व रहे। मैंने इस बात का उल्लेख इस लिये किया है कि उन की एकरूपता भारत के साथ बहुत अधिक बन चुकी थी। यह दुखद विषय है कि उन का अन्त ऐसे कारणों से हुआ जो शायद सम्भवतः बहुत से महापुरुषों के जीवन में घटे हैं। वे हिन्दुस्तान के लिए अन्तिम वक्त तक अपने प्यार को अक्षण्ण रखे रहे और जब कभी हिन्दुस्तान के लिए पेचीदा प्रश्न आता था, तो अपने सीधे तरीके से इंगलैंड में और दूसरे लोगों के साथ भारत के पक्ष की व्याख्या करने में कभी चूकते नहीं थे। उन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर के हम अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं। यहां और जितने नाम लिये गये हैं उन सभी के साथ आरम्भ से काम करने का मुझे अवसर रहा है। उन सभी का अंशदान बाहर और भीतर रहा है और उन सभी के चले जाने से इस में संदेह नहीं है, देश को क्षति हुई है। मैं उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व-वक्ताओं के साथ शामिल हूं।

श्री जी० लक्ष्मनन् (मद्रास उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल द्रमुक तथा अपने दल के नेता डा० के० करुणानिधि की ओर से दिवंगत आत्माओं के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करने में आप, सभा की नेता तथा समूची सभा के साथ सहमत हूं।

श्री यशवंतराव चह्वाण (सतारा) : अध्यक्ष महोदय दिवंगत संसद सदस्यों तथा दो विशिष्ट व्यक्तियों अर्थात श्री जयप्रकाश नारायण तथा लार्ड माउंटबेटन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने में मैं तथा मेरा दल आपसे तथा सभा की नेता से पूरी तरह सहमत हैं। श्री जयप्रकाश नारायण अदभुत गुण-सम्पन्न व्यक्ति थे और मेरे विचार से महात्मा गांधी के बाद उनका स्थान आता है। वह ऐसे एक मात्र व्यक्ति थे जो कानून के अन्तर्गत किसी पद को लिए बिना जन सेवा में विश्वास करते थे। उन्होंने जन सेवा, भारत की सेवा और न केवल भारत की सेवा में बल्कि मानव की सेवा में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उन्होंने सर्वोदया के सिद्धान्त को अपनाया और महात्मा गांधी के सत्य तथा अहिंसा के संदेश को लोगों तक पहुंचाया, वह जन स्वतंत्रता लोकतांत्रिक मूल्यों तथा समाजवाद में विश्वास करते थे और 1930 के वर्षों में उन्होंने समाजवाद पर कई उपयोगी पुस्तकें लिख कर समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया। मुझे याद है कि मैंने वे पुस्तकें पढ़ी हैं। उनमें से एक दुर्लभ पुस्तक "समाजवाद क्यों" है। यह बहुत ही सरल भाषा में है क्योंकि वह जनता की भाषा को जानते थे। वह लोगों के मन की बात को जानते थे। इसलिए उनका निधन बहुत लम्बे काल तक राष्ट्र की एक महान क्षति के रूप में हमेशा खलता रहेगा। वह किसी विशेष ग्रुप या दल से सम्बन्धित नहीं थे। वह वास्तव में एक राष्ट्रीय नेता थे। और सच्चाई तो यह है कि वह मानव के नेता थे। उनके निधन से भारत को बहुत क्षति पहुंची है। अन्य दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मैं आपसे सहमत हूं। मैं श्री दत्ताजीराव बी० कदम तथा श्री किशन वीर का उल्लेख अवश्य करूंगा। उनसे मेरी अच्छी मित्रता थी।

श्री किशन वीर एक महान स्वतन्त्रता-सेनानी थे जिन्होंने 1942 के आन्दोलन में बड़े ही वीरतापूर्ण कार्य किये और स्वातन्त्र्योत्तर काल में उन्होंने अपने आपको शिक्षा और सहकारिता के प्रति समर्पित कर दिया और अपने जिले के लिए अदभुत योगदान दिया। उनका चुनाव-क्षेत्र भी मेरे ही वाला था। अतः उनकी स्मृति में मैं अत्यन्त ही श्रद्धामय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अध्यक्ष महोदय गत सत्र के बाद अनेक मित्रों एवं प्रसिद्ध महानुभावों की मृत्यु पर यहां पर जो दुख भरे उदगार प्रकट किए गए हैं मैं और मेरा दल उनमें सहभागी है। जहां तक श्री जयप्रकाशजी का सम्बन्ध है उनके साथ हमारे दल का बहुत ही पुराना राजनैतिक सम्बन्ध है जो कि तीसरे दशक से शुरू हुआ था। यह सम्बन्ध कभी-कभी सहयोग का था तो दूसरे समय सम्भवतः मतभेद भी चलते रहे, परन्तु चाहे कुछ भी हो इस बात में तो कोई सन्देह नहीं रह जाता कि हमारे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन और लोकतान्त्रिक आन्दोलन के इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। उनमें अपना दोषानुभव करने का उत्साह था जो कि एक महान गुण है और उसके लिए उन्होंने बड़े-बड़े बलिदान भी किए और दुःख भी बहुत उठाए। अपने प्रारम्भिक वर्षों में भी उनमें अपने विश्वासजन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश के युवकों को प्रेरित करने की सामर्थ्य थी। हमें उनकी मृत्यु पर गहरा शोक है।

जहां तक अन्य मित्रों का सम्बन्ध है जिनमें से बहुत से एक समय या दूसरे समय इस सदन में भी मेरे मित्र थे उनकी मृत्यु पर मैं गहरा दुःख प्रकट करता हूं और मेरा आपसे निवेदन है कि शोकाकुल परिवारों को हमारे हार्दिक शोक सन्देश प्रेषित किये जाएं।

श्री चित्त बसु (बरसाट) : अध्यक्ष महोदय, सदन में दिवंगत आत्माओं और विशेषकर श्री जयप्रकाश जी के प्रति प्रकट किये गये उदगारों में मैं भी सहभागी हूं। यदि उनके बारे में कुछ बातें नहीं बताई गईं तो यह सदन की स्वयं मेरी और मेरे दल की भारी भूल होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं वे एक महान देशभक्त थे जो वीरता से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़े। स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान भूमिगत हो गये और वहीं से सारे देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। निस्सन्देह, समाजवाद के प्रति तो वे गम्भीर रूप से समर्पित थे। यह सच है कि मार्क्सवाद के प्रति उनमें कुछ मतभेद पैदा हो गये थे, परन्तु बाद के दिनों में उन्होंने यह अनुभव किया कि समग्ररूप से समाज के पुनर्निर्माण हेतु वर्ग संघर्ष अपरिहार्य है। तानाशाही के विरुद्ध उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और इस देश में लोकतन्त्र की पुनःस्थापना के लिए भी बड़ा संघर्ष किया। यह उन्हीं के संघर्ष का फल है कि हमें दूसरी आजादी मिली और हम और यह सदन आजाद हैं।

हमारे देश में तानाशाही का विरोध करने और लोकतन्त्र की स्थापना के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

अन्य दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं गहरी शोक संवेदना करता हूं कि हमारी शोक संवेदना शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दी जाए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पून्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा लोक नायक जी और अन्य वर्णित मित्रों की दु:खद मृत्यु पर व्यक्त किए गये मनोभावों के प्रति मुस्लिम लीग की ओर से सहभागी हूं । जयप्रकाश जी वास्तव में ही अन्तिम सांस तक सच्चे क्रान्तिकारी की तरह जिए । उनके देहावसान से जो स्थान रिक्त हुआ है उसका भरा जाना बड़ा ही कठिन है ।

लार्ड माऊंटबैटन भारत के महान मित्र थे और उन्होंने ही हमें सत्ता सौंपने में विशिष्ट भूमिका निभाई थी । आपने अन्य मित्रों के बारे में भी बताया है । हम अपने सभी दिवंगत मित्रों को श्रद्धान्जलि पेश करते हैं और उनकी मृत्यु पर गहरा दु:ख प्रकट करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी शोकसंवेदनाएं शोकसन्तप्त परिवारों तक पहुंचा दी जाएं ।

श्री एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : अध्यक्ष महोदय, श्री जय प्रकाश नारायण जी के बारे में यह जो प्रधान मंत्री जी ने बताया है कि उनका उदाहरण भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा, उसमें मैं भी सहभागी हूं । वे महान मानवतावादी थे । जब कभी और जहा-कहीं भी लोग अपनी आजादी और मानव अधिकारों के न मिलने के कारण कष्ट उठाते होते ठीक समय पर वहीं उन्होंने बड़े ही उत्साहमय ढंग से उनके समर्थन में अपनी आवाज बुलन्द की । उनकी मृत्यु का शोक मनाने के मेरे कुछ विशेष कारण भी हैं क्योंकि हमने एक साथ मिलकर किसान आन्दोलन, खेती मजदूर आन्दोलन ग्रामीण पंचायती लोकतन्त्र तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कार्य किया था ।

मेरे माननीय मित्र श्री चव्हाण ने उनकी "समाजवाद क्यों" नामक पुस्तक का उल्लेख किया है । जैसा कि प्रधान मन्त्री महोदया ने बताया है प्रारम्भ में तो उन्होंने मार्क्सवाद को अपनाया और "समाजवाद क्यों"? नाम की इस पुस्तक मे उन्होंने मार्क्सवाद की व्याख्या की है । बाद में वे महान गांधीवादी सिद्ध हुए, जिसके लिए उनकी नेक धर्मपत्नी जो कि महात्मा गांधी की बड़ी भक्त थीं, धन्यवाद की पात्र हैं । मैं उन्हें भी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं । उन दोनों ने ही मिलकर देश की सेवा की ।

यहां पर मैं यदि श्री तेन्नैटी विश्वनाथन को जोकि एक महान और नेक आन्ध्रवासी थे और जिन्होंने देश के भाषाई पुर्नविभाजन के लिए आन्दोलन में लोगों का मार्गदर्शन किया तथा उस आन्दोलन के लिए महान बलिदान किए, श्रद्धान्जलि पेश नहीं करूं तो मैं अपने आपको अपने कर्त्तव्य से च्युत समझूंगा । वे एक महान व्यक्ति और महान कामरेड थे । वे अनेक बार हमारे साथ जेल गये । उन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए सारा जीवन बलिदान कर दिया और जब वे स्वर्गवासी हुए तो जीवन से भी ज्यादा एक सर्वाधिक सम्मानित आन्ध्रवासी का मान-सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ ।

डा० फारुक अब्दुल्ला (श्रीनगर) : लोक नायक जी जो कि कश्मीर के बड़े मित्र थे मेरे परिचित थे। वे केवल भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े, अपितु अन्तिम सांस तक उनका संघर्ष जनसाधारण के लिए भी था । मैं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि बिना कोई उच्च पद ग्रहण किए भी प्रत्येक भारतीय

के हृदय में उनके लिए बड़ी जगह है और विश्व भर में उनकी सराहना की जाती है नैशनल कान्फ्रेंस ने भी उनमें एक महान मित्र खो दिया है। मुझे आशा है कि हम सभी जो इस सदन में उपस्थित हैं उनके द्वारा पीछे छोड़े गये उनके महान आदर्शों के लिए कार्य करते रहेंगे।

महान लुईस माऊंटबैटन से मेरा प्रथम परिचय 1949 में हुआ। मुझे उस भीमकाय व्यक्तित्व की अभी तक याद है जिसने हमारी आजादी के लिए इतना कुछ किया। मुझे इंगलैंड में बिताए उन दिनों की भी याद है जब मुझे यह पता चला था कि हमारे देश को वे कितना प्यार करते थे। यह देखने के लिए कि पश्चिमी जगत भारत की समस्याओं को कभी भूल न जायें उन्होंने बड़ा ही कठोर परिश्रम किया। इस महान हानि पर मैं शोकसन्तप्त परिवार को अपनी गहनतम सम्वेदनाएं प्रेषित करना चाहता हूं।

कश्मीर के भी एक भूतपूर्व सांसद श्री तारिक अब हमारे बीच नहीं रहे और इस हानि पर भी मैं उनके परिवार को अपनी गहनतम सम्वेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य अब कुछ समय के लिए मौन खड़े होंगे।

सदस्य गण कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े हुए।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं सभा के स्थगन का एक प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं क्योंकि सरकार रूस की सेनाओं के अफगानिस्तान में घुसने और जैसी कि स्थिति अब बन चुकी है उसके प्रति किसी प्रकार का निश्चित, स्पष्ट और सुव्यक्त रवैया बनाने में असफल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस प्रस्ताव विशेष पर विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनने का कष्ट करेंगे ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : स्थगन प्रस्ताव सदैव ही उससे पहले आता है।

अध्यक्ष महोदय : पहले हमें यह निर्णय करना है कि क्या हम बैठेंगे....

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा कि निवेदन है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में तो कोई सन्देह ही नहीं है। मेरे स्थगन प्रस्ताव से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय ही भिन्न है। निस्सन्देह उसमें अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता का भी उल्लेख है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले एक बात साफ हो जानी चाहिये कि क्या हम सभा स्थगित करने वाले हैं....

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु मैंने तो अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं के घुस आने और उसके बाद की स्थिति की बात कही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सारा ही देश इस समस्या से चिन्तित है तो मुझे उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव लाने क्यों नहीं दिया जा रहा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सभा बैठेगी । यदि सदस्य स्वीकार करते हैं तो हम बिना दोपहर का भोजन किए बैठे रहेंगे अथवा हम दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित करते हैं । मद्दा यही है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : : कृपया ग़लत न समझें । मैं मध्याह्न भोजन के लिए नहीं परन्तु रूसी सेनाओं के अफगानिस्तान में घुस आने के कारण स्थगन के लिए प्रस्ताव पेश कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है । उसमें आपको भी कहने का अवसर मिलेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने दो स्थगन प्रस्तावों के नोटिस दिये हैं । एक तो देश में तेजी से बढ़ रही कीमतों के बारे में है और दूसरा मिट्टी के तेल की कमी के बारे में हैं । (व्यवधान) । इसमें हंसने की क्या बात है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे मिल गया है । क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? आप कृपया स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी नियम को देखें । मैं उसमें से उद्धृत करता हूं । इसमें कहा गया है, "परम्परा स्वरूप स्थगन प्रस्तावों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले दिन चर्चा नहीं की जाती । उस दिन के लिए प्राप्त प्रस्तावों को दुसरे दिन की बैठक के लिए मान लिया जाता है ।"

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपका ध्यान नियम 60 की ओर दिलाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उसका सवाल ही नहीं उठता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, क्या आप इसे कल स्वीकृत करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है . . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : अथवा मझे नया नोटिस देना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : फिर तो ठीक है । आप कृपया नियम 60 को पढ़कर सुनाएं इससे सदन को सहायता मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने दो विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किये हैं । एक श्री जे० आर० डी० टाटा के विरुद्ध है और दूसरा श्री मेहता के विरुद्ध । (व्यवधान) श्री टाटा के विरुद्ध लाए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव को तो पिछली लोक सभा में विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया था । अतः उस मस्ले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर निर्णय लगे । यह विचाराधीन है । इसको अभी निप-टाया नहीं गया है ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसको शीघ्र निपटाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री महोदया अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों का परिचय करायेंगी ।

(व्यवधान)

एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। कृपया बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मुझे बुलाया गया है ।

मंत्रियों का परिचय

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : अपने सहयोगियों को आपसे और आपके माध्यम से सदन से परिचित कराने में मुझे प्रसन्नता हो रही है । श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी, ऊर्जा और सिचाई तथा कोयला विभाग मन्त्री; श्री प्रणव मुखर्जी वाणिज्य, इस्पात और खान तथा नागरिक आपूर्ति मन्त्री; श्री जे० बी० पटनायक पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री; श्री पी० वी० नरसिंह राव, विदेश मंत्री; श्री वसन्त साठे, सूचना और प्रसारण तथा आपूर्ति और पुनर्वास मंत्री; श्री पी० शिवशंकर, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री; श्री बी० शंकरानन्द, शिक्षा और स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री; श्री ए० पी० शर्मा, नौवहन तथा परिवहन मन्त्री; श्री भीष्म नारायण सिंह, संसदीय कार्य और संचार मंत्री और श्री विरेन्द्र सिंह राव, कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री; ज्ञानी जैल सिंह, गृह मंत्री; श्री कमलापति त्रिपाठी, रेल मंत्री श्री आर० वेंकटारमन, वित्त तथा उद्योग मंत्री; श्री निहार लास्कर, स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री योगेन्द्र मकवाना, गृह मंत्राल में राज्य मंत्री, श्री कार्तिक उरांव, पर्यटन तथा नागरिक विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्रीय, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री सी० के० जाफर शरीफ, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री आर० वी० स्वामी नाथन, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्री पी० वेंकटा सुब्बया, गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ।

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभा पटल पर रखे जायें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने केश्वरम् काटन मिल्ज तथा 3 अन्य मिलों में चल रही हड़ताल के बारे में, निगम 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया था । उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कल लिया जायेगा । अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 6), जो राष्ट्रपति द्वारा 30 अगस्त, 1979 को प्रख्यापित किया गया था ।

(दो) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 8), जो राष्ट्रपति द्वारा 1 सितम्बर, 1979 को प्रख्यापित किया गया था ।

(तीन) संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 8), जो राष्ट्रपति द्वारा 25 सितम्बर, 1979 को प्रख्यापित किया गया था ।

(चार) कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 9), जो राष्ट्रपति द्वारा 25 सितम्बर, 1979 को प्रख्यापित किया गया था ।

(पांच) काला बाजार निवारण और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखना अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 10), जो राष्ट्रपति द्वारा 5 अक्तूबर, 1979 को प्रख्यापित किया गया था ।

(छः) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 11), जो राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्तूबर, 1979 को प्रख्यापित किया गया था ।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 12), जो राष्ट्रपति द्वारा 24 नवम्बर, 1979 को प्रख्यापित किया गया था ।

[ग्रंथालय में रखा देखिए संख्या एल०टी० 2/80]

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणायें तथा आदेश, सिक्किम, मणिपुर, केरल तथा आसाम के राज्यपालों के प्रतिवेदन

गृह-कार्य तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं

(1) (एक) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत सिक्किम राज्य के संबंध में जारी की गई दिनांक 18 अगस्त, 1979 की उद्-

घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 18 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 497 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 18 अगस्त, 1979 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 498 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(2) राष्ट्रपति को सिक्किम के राज्यपाल के दिनांक 15 अगस्त, 1979 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 3/80]

(3) (एक) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक 14 नवम्बर, 1979 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 14 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 624 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निांक 14 नवम्बर, 1979 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 625(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(4) राष्ट्रपति को मणिपुर के राज्यपाल के दिनांक 16 अक्तूबर, 1979 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया दखिए संख्या एल०टी० 4/80]

(5) (एक) राष्ट्रपति द्वारा संबिधान के अनुच्छेद 4356 के अन्तर्गत केरल राज्य के संबंध में जारी की गई दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 672(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रब पति द्वारा जारी किये गये 5 दिसम्बर, 1979 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 दिसम्ब्रर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 673 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(6) राष्ट्रपति को केरल के राज्यपाल के दिनांक 2 दिसम्बर, 1979 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 5/80]

(7) (एक) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आसाम राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 688(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 के आदेश '(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 689 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(8) राष्ट्रपति को आसाम के राज्यपाल के दिनांक 11 दिसम्बर, 1979 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 6/80]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कार्य-सूची की मद संख्या 4 की उपमद संख्या 5, जोकि चोरबाजारी को रोकने तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई सम्बन्धी अध्यादेश से सम्बद्ध है, के बारे में मुझे एक प्रश्न पूछना है । मैंने सूचना दी......

अध्यक्ष महोदय : वह समिति को भेज दी जायेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने इसके बारे में सूचना 10 बजे से पहले दे दी थी, अत: मुझे इसके बारे में विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी जांच समिति द्वारा की जायेगी । अब आप व्यर्थ ही सदन का समय क्यों नष्ट करना चाहते हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलेरो (मारमागावो) : अध्यक्ष पीठ से पहले भी इसी प्रकार का विनिर्णय दिया जा चुका है जब कभी भी सदन की सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों में कसी प्रकार की आपत्ति उठाई जाती है तो उसे सीधे ही समिति को भेज दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : समिति द्वारा इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : कौन सी समिति को ? अभी तो कोई भी समिति नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने उस प्राधिकरण का उल्लेख भी कर दिया है जिसके अन्तर्गत मैं इस अप्रिय तथा आपत्तिजनक विधान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब इसका कोई प्रश्न नहीं है । समिति स्थिति से अवगत है । अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति

अध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : इस प्रश्न के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में. . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है और मैंने श्री पाणिग्रही को प्रस्ताव पर बोलने के लिए बुलाया है ।

श्री समर मुखर्जी : हम इसके बारे में चर्चा चाहते थे और प्रधान मंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। प्रधान मंत्री को इसके बारे में कुछ कहने दीजिये. . . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के अनुसार चलूंगा . . . . . . (व्यवधान)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : श्रीमान मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्वनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

> "अफगानिस्तान की हाल ही की घटनाओं के सन्दर्भ में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के समाचारों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति ।"

. . . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समाप्त होने पर यदि समय हुआ तो हम इस पर आगे विचार कर सकते हैं. . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसके बाद इस पर विचार किया जा सकता है ।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे यह मालूम नहीं था कि इसके बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है। विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ हुई बैठक में यह मामला उठाया गया था। परन्तु यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के सामने उठाया जा सकता है और वह इस पर विचार कर सकती है कि क्या इसे समय दिया जा सकता है ।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने 29 दिसम्बर, 1979 को पाकिस्तान को सैनिक सहायता पुनः शुरू करने का ऐलान किया जिस पर पहले उन्होंने अमरीकी विधान के अनुसार रोक लगा दी थी। सरकार के ध्यान में जो रिपोर्टें आयी हैं उनके अनुसार अमरीकी सरकार ने नकद बिक्री के ही एक अंग के रूप में पाकिस्तान को 15 करोड़ डालर मूल्य की सैनिक सप्लाई को शीघ्र निपटाने का निश्चय किया है जिसके भेजे जाने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू है। अमरीका सरकार ने इसके अतिरिक्त भी अगले 20 महीनों में पाकिस्तान को 40 करोड़ डालर की एक समग्र सहायता देने का भी ऐलान किया है जिसमें 20 करोड़ डालर की आर्थिक सहायता और 20 करोड़ डालर की सैनिक सहायता शामिल है ।

सरकार ने पाकिस्तान को सैनिक साज-सामान की सहायता बढ़ा देने पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है और इस बात पर भी अपनी आशंका व्यक्त की है कि पाकिस्तान में हथियार पहुंचने से दक्षिण एशियाई क्षेत्र बड़ी शक्तियों की लड़ाई और उनके बीच संघर्ष का मंच बन सकता है । भारत सरकार ने इस बारे में भी अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि हथियारों की सप्लाई से संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया की गति मन्द हो सकती है जिसे भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने शिमला समझौते की भावना के अनुरूप आगे बढ़ाया है । संयुक्त राज्य अमरीका, पाकिस्तान और अन्य संबद्ध देशों की सरकारों के समक्ष ये विचार गम्भीरता के साथ प्रस्तुत कर दिये गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय पिछले कुछ महीनों में हमारे अगल-बगल के क्षेत्र में जो घटना घटी हैं उनसे इस देश में लोगों का चिन्तित होना स्वाभाविक है और इससे सरकार भी चिन्तित है । इसके कारण जानने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है । पड़ोसियों के बीच और स्वयं अलग-अलग राष्ट्रों में तनाव और समस्यायें पैदा होती रहती हैं । लेकिन ये समस्याएं गम्भीर रूप तब धारण कर लेती हैं जबकि बड़े राष्ट्र अपनी सार्वभौमनीति के अन्तर्गत फायदा उठाने की तलाश में, या अपने मन चाहे हित साधन के लिए इन राष्ट्रों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या इस क्षेत्र विशेष की सरकारें किन्हीं अल्प-अवधि के लाभों के लिए इस नीति के अनुकूल अपने आप को बना देती हैं और इस प्रक्रिया में उन उद्देश्यों से ही भटक जाती हैं जिनकी उन्हें तलाश होती है । आज, इस अपशकुनी प्रक्रिया को जड़मूल से दूर कर देने का और बड़े राष्ट्रों के प्रभाव अथवा उनके संघर्ष से मुक्त वातावरण में, समस्याओं को सुलझाने के जाने-परखे मार्ग पर पुनः लौटने की जरूरत है ।

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं की ओर सरकार का गम्भीर रूप से ध्यान देना स्वभाविक है । अफगानिस्तान की सरकार और वहां के लोगों के साथ भारत के निकट और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और हम अपने इस परम्परागत पड़ोसी मित्र की सुरक्षा, स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता और उसकी प्रादेशिक अखण्डता के प्रति गम्भीर रूप से चिन्तित हैं और उसमें हम बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं और हमारा विश्वास है कि इनकी रक्षा करने का उन्हें पूरा-पूरा अधिकार है ।

हमें आशा है कि अफगानिस्तान के लोग अपनी आंतरिक समस्याओं को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के सुलझा लेंगे जैसाकि प्रधान मंत्री ने साफ तौर पर कहा है हम किसी भी देश में विदेश सैनिकों या विदेशी अड्डों की उपस्थिति के खिलाफ हैं । हमने आशा व्यक्त की है कि सोवियत सेनायें अफगानिस्तान से हट जायेंगी ।

हमारी समूची नीति शांति और गुट-निरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है । दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देश गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य हैं, और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्तों के अनुरूप, हम यह आशा करते हैं कि यह सम्पूर्ण क्षेत्र तनावों से मुक्त रहेगा ।

इस क्षेत्र में हथियारों के आने और बड़ी शक्तियों के बीच संघर्ष छिड़ जाने से इस क्षेत्र की शांति और स्थायित्व के लिए खतरा बढ़ जाएगा जिसमें भारत की सुरक्षा का प्रश्न भी शामिल है । इस प्रकार की परिस्थिति में हमारी कोशिश यह रही है कि इस स्थिति पर काबू पाने के लिए कदम उठाये जाये न कि इसे और भड़काने के लिए । भारत सरकार इस

उपमहाद्वीप के देशों से, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, चीन और दूसरे देशों से इस बात पर बल देने के लिए सम्पर्क बनाए रही है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिससे खतरा बढ़ता हो और संघर्ष तेज होता हो क्योंकि हम यह समझते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा उचित समाधान सम्भव नहीं है। उम्मीद की जाती है कि संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि निकट भविष्य में भारत आयेंगे। पाकिस्तान की सरकार के नियंत्रण पर भारत के विदेश सचिव भी जल्दी ही इस्लामाबाद के दौरे पर जाने वाले हैं।

हम पाकिस्तान के साथ और निःसंदेह इस क्षेत्र के दूसरे देशों के साथ भी निरन्तर बातचीत करते रहने को महत्वपूर्ण मानते हैं जिससे कि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि यह क्षेत्र बड़े राष्ट्रों के संघर्ष का मंच नहीं बन जाएगा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें एक-दूसरे के दष्टिकोण को बिल्कुल साफ-साफ समझें और इस बीच ऐसी कोई कार्रवाई न की जाए जिससे कि इस क्षेत्र के हितों को नुकसान पहुंचता हो अथवा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को आघात पहुंचे।

प्रधान मंत्री के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने शिमला समझौते का जो उल्लेख किया है उसका हम स्वागत करते हैं। हमारे विचार से यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयत्नों का आधार है। इस समझौते में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच संबंध संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धान्तों और प्रयोजनों से संचालित होंगे। इसके अलावा भी दोनों देश शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा एक-दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करने के प्रति प्रतिब्द्ध हैं। हमारे विचार से हमारे दोनों देशों के बीच सामान्यीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सहयोग के निश्चित और स्पष्ट लाभ हैं। हम दोनों को ही इस बात की आशा करनी चाहिए कि हम मिलकर विवेकसम्मत राह पर आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में और हमारे पड़ोस में काफी लम्बी अवधि से अशान्ति की परिस्थितियां विद्यमान रही हैं। समरसता और सहयोग के साथ मिलकर काम करते हुए हम अपने सामूहिक लाभ के उद्देश्य से विकास की स्थिति को संवर्धित करने के लिए शान्ति और स्थायित्व का वातावरण स्थापित करने में बहुत सहयोग दे सकते हैं। यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अपने इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में हम प्रगतिचक्र को उलटने के और उन्हें संघर्ष और शीत युद्ध के युग में लौटाने की किसी भी देश की हर कोशिश का जम कर मुकाबला करेंगे। सरकार को विश्वास है कि यह संसद और भारत की जनता इन लक्ष्यों की प्राप्ति में उसके प्रयासों को एकजुट होकर पूरा-पूरा समर्थन देगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : श्रीमान्जी, सरकार द्वारा इसके बारे में जो सकारात्मक रवैया अपनाया गया है और जो नीति अपनाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है तथा सरकार द्वारा इसके बारे में जो रवैया अपनाया गया है, उसका पूर्ण समर्थन करते हुए मैं विदेश मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगामी 5 से 6 महीनों में पाकिस्तान पूर्णतया अणु-अस्त्रों वाला देश बनने जा रहा है और जब अमरीका तथा चीन द्वारा उसे सैनिक अड्डा बना दिया जायेगा, तो इस सन्दर्भ में मैं यह

जानना चाहता हूं कि जब हमारे विदेश सचिव पाकिस्तान जायेंगे और जब राष्ट्रपति श्री कार्टर द्वारा अपने विशेष प्रतिनिधि को भारत भेजा जायेगा, तो क्या हमारी सरकार चीन की सरकार के साथ कोई पत्र-व्यवहार कर रही है ताकि चीन सरकार भी इस बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई न करे कि भारत सरकार इस क्षेत्र को शान्ति क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रही है क्योंकि बड़ी शक्तियों के बीच शत्रुता से वर्तमान शीतयुद्ध और गर्म युद्ध को बढ़ावा मिलेगा जिसमें भारत भी फंस सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं और उनका क्या परिणाम रहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हम सभी सम्बद्ध सरकारों से सम्पर्क बनाये हुये हैं। इस समय मैं इसके बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि जैसाकि मैंने पहले कहा अभी तो निरन्तर स्थिति में विकास हो रहा है।

श्री पी० के० कोडियान (अडूर) : मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ा है। उसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ है जैसे कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिये जाने वाले सशत्रों से उत्पन्न स्थिति की गम्भीरता को अभी तक सही अर्थों में समझा नहीं गया है तथा मैं समझता हूं जिन वास्तविकताओं को समझ लिया जाना चाहिये था उन्हें कूटनीतिक शब्द-जाल के कारण नहीं समझा गया है। श्रीमान्‌जी, अमरीका द्वारा जो भी सशस्त्र सहायता पाकिस्तान को दी जाती रही है, वही भारत के लिए खतरे का कारण बनती रही है और अमरीका द्वारा पहले भी जो शस्त्र पाकिस्तान को सप्लाई किये गये थे उनका उपयोग भी 1965 तथा 1971 में भारत के विरुद्ध लड़ी गई दोनों लड़ाइयों में किया गया था। ऐसा हमारा अनुभव रहा है। उस समय की अमरीकी सरकार के नेताओं द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद भी ऐसा हुआ। अब अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई करने के अतिरिक्त कुछ-कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं, जिनसे शस्त्र प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वह इस प्रकार कि पश्चिम योरुप के जो देश एन० ए० टी० ओ० के सदस्य हैं वे भी पाकिस्तान को सशस्त्र सहायता दे रहे हैं। इसके साथ ही तीसरे यह समाचार भी मिला है कि चीन द्वारा काराकोरम राजपथ का निर्माण किया गया है......

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमानजी जो प्रश्न पूछा जाये, वह सम्बद्ध ही होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री पी० के० कोडियान : जी हां मैं प्रश्न पर आने का ही प्रयास कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय से ही सम्बद्ध होना चाहिये। आप प्रश्न पूछिये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : वह प्रश्न की ही पूर्व पीठिका दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने प्रश्न को पूछिये।

श्री पी० के० कोडियान : वक्तव्य में कुछ तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः जब तक मैं पूर्व पीठिका की व्याख्या नहीं करता तब तक......

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु वक्तव्य नहीं दे सकते ।

श्री चित्त बसु : प्रश्न बनाने के लिए उसकी पूर्व पीठिका तो उन्हें तैयार करनो ही पड़ती है । (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्वर) : श्रीमान्‌जी, प्रत्येक सदस्य को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने के लिए 5 से 15 मिनट का समय दिया जाना चाहिये । प्रस्ताव से सम्बद्ध 5 सदस्य हैं जिनके प्रश्नों का उत्तर मंत्री महोदय को देना है । अतः आप जैसे चाहें अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सम्बद्ध तथा सार्थक होना चाहिये । कृपया प्रश्न पूछिये ।.... (व्यवधान)

श्री पी० के० कोडियान : मैं पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि ऐसे समाचार देखने को मिले हैं जिनमें कहा गया है कि काराकोरम राजपथ का उपयोग चीन द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र तथा युद्ध सम्बन्धी साजो-सामान भेजने के लिए किया जा रहा है । इसलिए......

अध्यक्ष महोदय : इसका विषय से सम्बद्ध सार्थक भाग कौन सा है ?

श्री पी० के० कोडियान : इसका सार्थक भाग यह है कि वक्तव्य में यह कहा गया है कि हम इस क्षेत्र को शीत-युद्ध का अड्डा तथा टकराव का क्षेत्र बनाने के किसी भी शक्ति के प्रयत्नों का विरोध करेंगे । जब कभी भी अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र-सप्लाई करने का प्रश्न इस सदन में उठाया गया है, अनेक ऐसे अवसरों पर इसी प्रकार का वक्तव्य दिया जाता रहा है । मैं यह जानना चाता हूं कि हमारे पहले के इस अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए कि हमारे बार-बार विरोध करने पर भी अमरीका पाकिस्तान को आधुनिक शस्त्र-सप्लाई करता रहा है हथियारों की सप्लाई का विरोध करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं । और दूसरा प्रश्न है......

अध्यक्ष महोदय : केवल एक ही प्रश्न पूछिये ।

श्री पी० के० कोडियान : यह प्रश्न का (ख) भाग है । अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसका इससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और उसका मूल्यांकन करते समय पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे दृष्टिगत रखा जाना चाहिए । अब जबकि सोवियत संघ ने मित्रता का समझौता कर लिया है और अफगानिस्तान पड़ोसी देश है, इसलिए उस क्षेत्र में यदि कोई शत्रुतापूर्ण घटना घटती है तो उसका पूर्ण क्षत्र पर घातक प्रभाव पड़......

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ पूछना चाहते हैं, उसे संक्षेप में क्यों नहीं कहते ताकि वह आपकी बात का उत्तर दे सकें ?

श्री पी० के० कोडियान : अतः जहां तक अफगानिस्तान का सम्बन्ध है, वह तो अपनी स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा है और चूकि अफगानिस्तान गुट-निरपेक्ष देश है और भारत के साथ उसकी अच्छी मित्रता ......

इस संकट के समय में भारत सरकार का अफगानिस्तान की सरकार तथा वहां की जनता की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ध्यनाकर्षण प्रस्ताव में केवल यह पूछा गया है कि अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को कितने हथियार दिये गये हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि चीन तथा अन्य देशों तथा अन्य स्रोतों का जिनके सम्वन्ध में पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के बारे में जिक्र किया गया है, इन सब पर इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा नहीं की जा सकती है . . . (व्यवधान)

जहां तक अफगानिस्तान के प्रश्न का सम्बन्ध है इसके बारे में मैंने एक विस्तृत विवरण दे दिया है।

श्री आर० के० महालगी (थाना) : लेकिन वह अस्पष्ट है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं वास्तव में यह नहीं जान पाया कि एक दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हम जो चाहते हैं उसके लिए अपनी आशा, कामना तथा प्रयत्न करने के. सिवाय क्या करें, और हम केवल यही कर रहे हैं। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हम स्पष्ट स्थिति को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा वर्तमान परिस्थिति में एक निश्चित दृष्टिकोण, एक तरफा दृष्टिकोण अपनाना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। हम वहां की स्थिति से अवगत हैं तथा हम अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक प्रयत्न कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में तनाव की स्थति को समाप्त किया जाये।

श्री विद्या चरण शुक्ल (महासमुन्द) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस गंभीर विषय पर विचार करते समय क्या सरकार ने इन वातों को ध्यान में भी रखा है : पहला, यह कि पाकिस्तान को निर्धारित हथियारों की सप्लाई का क्या यह उद्देश्य नहीं है कि वहां की वर्तमान आवश्यकता को पूरा किया जाए तथा यह एक दीर्घकालिक सहायता समझौता है जो प्रारम्भ में 20 महीने तक चलेगा तथा जिसके और आगे बढ़ने की संभावना है।

दूसरे, विभिन्न हथियारों की किस्म तथा रज को देखने से क्या यह मालूम नहीं होता है कि उनको वर्तमान तनाव के क्षेत्र अर्थात् पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के अलावा अधिक क्षेत्र तक मार करने के लिए लिया जा रहा है बड़े-बड़े प्रक्षेपास्त्र तथा अन्य हथियारों द्वारा अधिक बड़े क्षेत्र अर्थात् भारत के दूरतम क्षेत्र को भी प्रहार की परिधि में लाया जा सकता है। क्या मैं इस सम्वन्ध में कोई जानकारी प्राप्त कर सकता हूं तथा समझौते के इस भाग का क्या सरकार द्वारा उपयुक्त रुप से विश्लेषण किया गया है।

क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की मैं प्रशंसा करने के साथ-साथ यह भी जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में तनाव को और कम करने के लिए क्या सरकार द्वारा और कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : सहायता के रूप में दिए जा रहे हथियारों की मात्रा तथा किस्म का पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है और हमने यह कहा है कि जिस घोषित उद्देश्य के लिए यह सहायता दी जा रही है वह हथियारों की मात्रा तथा किस्म से मेल नहीं खाता है। हमने यह वात उनके ध्यान में ला दी है। सम्बन्धित देशों से हमने जो कुछ कहा है उसको

ध्यान में रखते हुए हमें अभी भी यह आशा है कि आने वाले कुछ सप्ताहों में ही कुछ सुधार अवश्य होगा। जसा कि मैं कह चुका हूं हमारे देश में विदेशों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मान्य व्यक्ति तथा राज्याध्यक्षों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे तथा हमें आशा है कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, 'यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बातचीत के दौरान क्या प्रगति होती है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। जब तक स्थिति स्पष्ट होती है हमें स्थिति पर नजर रखनी है तथा उचित समय पर कार्यवाही की जाएगी।

डा० वसंत कुमार पंडित (रायगढ़) : सबसे पहले मैं आपका ध्यान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस की ओर दिलाना चाहता हूं। इसको पूर्णतः परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें विषय के केवल एक भाग की ओर ही ध्यान दिलाया गया है। इसलिए इस पर पूरी तरह से चर्चा नहीं की जा सकती है। यह हथियारों की सहायता तक ही सीमित है। मैं आपका ध्यान भविष्य के बारे में भी आकृष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमने नोटिस में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

डा० वसंत कुमार पंडित : केवल एक भाग को ही रहने दिया गया है, दूसरे भाग को हटा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस का कोई भी भाग नहीं हटाया गया है। यह श्री पाणिग्रही का प्रस्ताव है, जिसे बैलेट के द्वारा मंजूर किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : प्रक्रिया यह है कि जब आप बहुत से सदस्यों के नामों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं तब यदि अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में कोई अनुपूरक पहलू हैं तो उनको भी सम्मिलित किया जाता है। श्री पाणिग्रही के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मंजूर किया गया है लेकिन श्री पंडित ने भी एक नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने सोवियत रूस के प्रवेश का जिक्र किया है। यदि आप इन प्रस्तावों को एक साथ सम्मिलित करते हैं तब सभी देशों के नामों को भी जिनका जिक्र किया गया है, उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : : अब श्री पंडित एक प्रश्न पूछेंगे।

डा० वसंत कुमार पंडित : मंत्री महोदय द्वारा एक असंतोषजनक वक्तव्य दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सभा में हमारे स्थायी प्रतिनिधि द्वारा जो कुछ किया गया है उसके बारे में वक्तव्य में कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि अफगानिस्तान के बारे में सोवियत संघ द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, भारत उससे संतुष्ट है। मैं दिनांक 13 जनवरी के "इण्डियन एक्सप्रैस" से उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। जिसमें यह बताया गया है :

> "हम किसी भी देश में विदेशी सेनाओं तथा सैनिक अड्डों के खिलाफ हैं। तथापि, सोवियत सरकार ने भारत सरकार का यह आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान सरकार के कहने पर ही सोवियत सेना को अफगानिस्तान भेजा गया है"।

हमारे दृष्टिकोण में आलोचना का अभाव है, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई है। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं के जाने के बारे में भारत सरकार का क्या अन्तिम निर्णय है ? हम चाहते हैं कि उसको सबसे पहले स्पष्ट किया जाए।

एक माननीय सदस्य : यह एक आक्रमण है।

डा० बसंत कुमार पण्डित : उन्होंने इसको अपना आन्तरिक मामला बताया है। सरकार को हाल ही के समाचारों के बारे में अवश्य ही यह जानकारी होगी कि काबुल में पाकिस्तानी गुरिल्ले मौजूद हैं तथा चीनी सेनायें उसकी सीमाओं पर तैनात हैं। इसको आन्तरिक मामला कब तक माना जा सकता है, जबकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है ? यह सीधे हमारे देश की सीमाओं की ओर आ रही है। मैं अफगानिस्तान की स्थिति के कुछ विशिट मामलों के सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण को जानना चाहता हूं। जैसा कि मेरे मित्र श्री शुक्ल ने कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को जो भारी मात्रा में हथियारों की सहायता दी जा रही है, वह वहां की स्थिति को देखते हुए बहुत अधिक है। पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के बारे में अमेरिका द्वारा अपनी नीति में परिवर्तन किया गया है, इसके साथ ही परमाणु ईंधन को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री मगनभाई बारोट (अहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस चर्चा को वाद-विवाद में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रक्रिया नियमों के अनुसार .... पर वाद-विवाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती (**व्यवधान**) जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है मैं इसके लिए एक नया सदस्य हूं। लेकिन नियमों तथा परम्पराओं की मुझे जानकारी प्राप्त है। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात को ध्यान में रख लिया है। अब श्री पंडित प्रश्न करेंगे।

डा० बसंत कुमार पण्डित : शिमला समझौता तथा पाकिस्तान के साथ सामान्य सम्बन्धों के बनानें के बारे में जिक्र किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी एक देश पर अन्य देश द्वारा आक्रमण करने के खिलाफ विचार व्यक्त करने के लिए राष्ट्रों के शिष्टाचार के नाते सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। इस मामले में शिमला समझौता के अलावा अन्य सभी गुट-निरपेक्ष देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? इन तीनों मुद्दो के बारे में हम सरकार के स्पष्ट दृष्किोण को जानना चाहते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : माननीय सदस्य ने संयुक्त राष्ट्र सभा में हमारे स्थायी प्रतिनिधि द्वारा दिए गए वक्तव्य का जिक्र किया है। हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी के अलावा कुछ भी नहीं कहा है और न ही हमारे निर्णय के बारे में कुछ कहा है। क्योंकि इस प्रकार की स्थिति मे कोई भी निर्णय नही दिया जा सकता है। जो कुछ उन्होंने कहा है, वह निम्नलिखित रूप में है :—

> "सोवियत सरकार ने हमारी सरकार को यह आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान सरकार के अनुरोध पर ही सोवियत सेनाओं को अफगानिस्तान में भेजा गया है। सबसे पहले राष्ट्रपति अमीन द्वारा 26 दिसम्बर, 1979 को अनुरोध किया गया था।"

एक माननीय सदस्य : क्या आप इस बात से सहमत हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसके अलावा, इस बात से सहमत होने अथवा इसकी पुष्टि करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी देश में विदेशी सेना की उपस्थिति का हम विरोध करते हैं।

जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों की बात है, नवीनतम स्थिति यह है कि शिमला समझौते के अनुसार कार्य किया जा रहा है। शिमला समझौते के पूर्व जो कुछ हुआ, उसके बारे में बेहतर यही है कि उसको भुला दिया जाए तथा आगे से शिमला समझौता के अनुसार कार्यवाही की जाए। कुछ मामलों, जैसे सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा कुछ सीमा तक व्यापार के बारे में भी आपसी सम्बन्ध सामान्य हुए हैं। लेकिन अभी काफी कुछ करना है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं दो देशों के बीच किसी समझौते को वास्तव में कार्यान्वियन करना कोई आसान कार्य नहीं है। बहुत से तनाव, प्रभाव तथा अन्य घटनायें भी बीच में आ जाती हैं, जिससे समझौते के निष्कर्ष तथा समय की अवधि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं का कार्यान्वियन नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें पाकिस्तान से अपना अनुरोध प्रकट करना चाहिए। नई सरकार द्वारा सत्ता में आने के पश्चात् एक अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया ने स्वयं हमारी प्रधान मंत्री को एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण सन्देश भेजा है, जिसमें शिमला समझौते का भी जिक्र किया गया है। हम उसके अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं तथा उनसे हमने इस सम्बन्ध में बातचीत भी की है। हमारे विदेश सचिव इस्लामाबाद जाने वाले हैं। हमारा यह प्रयास है कि हमारे सम्बन्ध खराब न हों। शेष सभी अन्य मामलों के बारे जिन्हें द्विपक्षीय समझौते के द्वारा हल किया जाना है, कार्यवाही करने में तथा बातचीत करते के लिए हम तत्पर है तथा इस में कोई विलम्ब नहीं करना चाहते हैं। यही स्थिति है।

श्रीमती कृष्णा साही : (बेगुसराय) : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य सदन में दिया है उस में उन्होंने काफी व्यापक रूप से सभी बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है। मैं सहर्ष इसका समर्थन करती हूं।

आप सभी जानते है कि हमारे पड़ौस के क्षेत्रों में कुछ महीनों से जो घटनाएं घट रही हैं, उससे हम सभी का चिन्तित होना स्वाभाविक है। अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने भी बताया है कि सरकार काफी गंभीर रूप से इस पर चिन्ता प्रकट रही है और कार्यवाही भी कर रही है। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं समझती हूं कि उनका उत्तर काफी संतोषप्रद है। लेकिन मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि तत्कालीन सरकार ने उस समय क्या इस के सम्बन्ध में कोई प्रोटेस्ट किया था या नहीं ? और इस सम्बन्ध में तत्कालीन सरकार ने कौन सी कार्रवाई की थी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ये जो घटनाएं घटी हैं लगता है कि ये दो सरकारों के बीच घटी हैं। एक तरह से हमनें अपनी प्रक्रिया प्रकट कर दी है ....

श्री जी० एम० बनतवाला : अन ईक्वीवोकल कंडमनेंशन होना चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अपनी प्रक्रिया को इस सरकार ने स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1979—80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरमण) : मैं वर्ष 1979—80 के बजट (सामान्य) की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

संविधान (45वां संशोधन) विधेयक

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जैल सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): मैं प्रस्ताव करता हूं बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1977 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1977 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जे० बी० पटनायक : : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में व्याख्यात्मक विवरण

पर्यटन और नागरिक विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं बोनस संदाये (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के द्वारा तातकालिक विधान के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखा गया (देखिए संख्या एल० टी० 7क/80)]

संघ राज्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जैल सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के बारे में व्याख्यात्मक विवरण

श्री जैल सिंह : मैं संघ राज्य क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश 1979 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । ग्रंथालय में रखा गया । देखियें संख्या एल० टी० 7/80)

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री फ़्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : आपकी अनुमति से मुझे एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है ।

22 तारीख के 'इडिन्यन एक्सप्रेस' में सभा की कार्यवाही सम्बन्धी समाचार का उल्लेख करते हुए कहां गया है कि नामनिर्देशित संसद् सदस्यों, श्री फ्रेंक एन्थोनी और ए० ई० टी० बैरो ने वैसी ही शपथ ली जैसी कि लोक सभा के निर्वाचिन सदस्यों ने ली थी । यह सही नहीं है कि मेरे पास वही फार्म था । और जैसे ही मैंने निर्वाचित शब्द पढ़ा मैंने तुरन्त उसमें शुद्धि करदी और नाम निर्देशित शब्द का प्रयोग किया । श्री बैरो ने उस शब्द का प्रयोग नहीं किया ।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : मेरे पास जो फार्म था उसमें 'नामनिर्देशित' छपा हुआ था । मैं 'इंन्डियन एक्सप्रेस' को बता देना चाहता हूं कि मैं पढ़ना जानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हमने पता कर लिया । संबद्ध पत्रों में शुद्धि कर दी जाएगी ।

अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

मध्याह्न पश्चात् 1.49 बजे

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 24 जनवरी, 1980/4 माघ, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

प्र० म० भा० स० मु० मि० रो० न० दि०—लो० स० III—2365 लो० स०—26—2—80—210